

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-382/2018-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

प्रध्योत कुमार

श्रीमती स्वर्णलता होरो

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
15.07.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक प्रध्योत कुमार पिता स्व० एरीयल कुमार ग्राम-अमृतपुर कदमा, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने श्रीमती स्वर्णलता होरो पति श्री दानिएल होरो ग्राम-अमृतपुर कदमा, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अमृतपुर कदमा</td> <td>84</td> <td>09</td> <td>250</td> <td>0.12</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 21464889 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 556 दिनांक 12.07.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं०- 54/51 दिनांक 22.01.2008 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम केदार मुण्डा हैं। पंजी II के अनुसार प्रधोत कुमार के नाम भूमि का रकबा 0.20 एकड़ है। आवेदक के पास 0.20 एकड़ भूमि के अलावा अन्य खाता 12,23,27,35,9 रकबा 3.29½ कुल रकबा 3.49½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 60165.00(साठ हजार एक सौ पैसठ)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.29½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कौसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रध्योत कुमार पिता स्व० एरीयल कुमार को श्रीमती स्वर्णलता होरो पति श्री दानिएल होरो के साथ ग्राम अमृतपुर कदमा के खाता सं० 09 खेसरा संख्या 250 कुल रकबा 0.12 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 60165.00(साठ हजार एक सौ पैसठ)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	अमृतपुर कदमा	84	09	250	0.12	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
अमृतपुर कदमा	84	09	250	0.12								
	<p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>										